रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
पाधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 1971/माघ 13, 1892
No. 91] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 1971/MAGHA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 2nd February 1971

S.O. 610.—Whereas the Central Government in the Ministry of Industrial Development and Internal Trade (Department of Industrial Development) has, by its Order No. S.O. 2673B/18A/IDRA/70, dated the 6th August, 1970, issued under section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), authorised the Gujarat State Textile Corporation to take over the management of the whole of the industrial undertaking called the Mahalaxmi Mills Ltd., Bhavnagar (hereinafter in this order referred to as the 'industrial undertaking') for the period specified therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18E of the said Act, the Central Government hereby specifies in the Schedule annexed hereto the exceptions, restrictions and limitations subject to which the Companies Act, 1956 (1 of 1956), shall continue to apply to the industrial undertaking in the same manner as it applied thereto before the issue of the notified order under section 18A of the said Act.

SCHEDULE

Provisions of the Companies Act, 1956	Exceptions, restrictions and limitations subject to which the provisions mentioned in column (1) shall apply to the undertaking.
1	2
Section 293 . . .	Clause (d) of sub-section (1) of this section shall not apply in relation to borrowing of money by the Authorised Controller for the purpose of running the industrial undertaking.
Section 536 . . .	Sub-section (2) of this section shall not apply in relation to disposition of the property (including actionable claims) of the company by the authorised Controller for the purpose of running the industrial undertaking.

[No. F. 9(1) Lic. Pol./68]

K. D. N. SINGH, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास और आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी 1971

का० आ० 610.—यतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क के अधीन जारी किए गए औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय के अपने आदेश सं० का० आ० 267 3बी/18ए/आई० डी० आर० ए०/69 तारीख 6 अगस्त 1970 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य वस्त्र निगम को महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, भावनगर, नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम (जिसे इस में इसके पश्चात् इस आदेश में 'औद्योगिक उपक्रम' कहा गया है) का प्रबन्ध उस में निर्दिष्ट कालावधि के लिए प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे संलग्न अनुसूची में उन अपवादों, निर्बन्धनों और परिसीमाओं को विनिर्दिष्ट करती है जिसके अध्यधीन रहते हुए कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) औद्योगिक उपक्रम पर उसी रूप में लागू रहेगा जिस रूप में वह उक्त अधिनियम की धारा 18क के अधीन अधिसूचित आदेश के जारी होने से पहले उस पर होता था।

अनुसूची

कम्पनी अधिनियम 1956 के उपबन्ध	वे अपवाद, निर्बन्धन और परिसीमाएं, जिन के अध्यधीन स्तंभ (1) में वर्णित उपबंध उपक्रम पर लागू होंगे ।
धारा 293 . .	औद्योगिक उपक्रम को चलाने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा धन उधार लेने के सम्बन्ध में इस धारा की उपधारा (1) का खण्ड (घ) लागू नहीं होगा ।
धारा 536 . .	औद्योगिक उपक्रम को चलाने के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा कम्पनी की सम्पति (जिस में अनुयोज्य दावे सम्मिलित हैं) के व्ययन के सम्बन्ध में इस धारा की उपधारा (2) लागू नहीं होगी ।

[सं० फा० 9(1)लिक० पोल०/68]

के० डी० एन० सिंह,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971